



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1288]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 24, 2010/आषाढ़ 3, 1932

No. 1288]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2010/ASADHA 3, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2010

का.आ. 1520(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), संख्यांक का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित बनाती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

"22	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 [0.0 कि.मी. से 107.200 कि.मी. को छोड़कर (चैन्नई से रानीपेट)] और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के 13.8 कि.मी. से प्रारंभ होने वाला बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के 12.6 कि.मी. पर मिलने वाले बाईपास [चैन्नई बाईपास फेज 2 सं. 45 (डिंडीगुल-टेनी खंड), सं. 45क, सं. 45ख [मदुरई-अरुपुकोट्टे-टूटीकोरीन खंड को छोड़कर] सं. 47 (केरल/तमिल नाडु सीमा कन्याकुमारी खंड को छोड़कर) और 0.000 कि.मी. से 182.040 कि.मी. (सलेम से तमिल नाडु/केरल सीमा तक)], सं. 49, सं. 66 [तमिल नाडु/पुडुचेरी सीमा-टिंडीवनम-थिरुवन्नामलाई कृष्णागिरि खंडों को छोड़कर], सं. 67 [नागापटिनम थंजावूर-त्रिची-करुर-कोयम्बटूर खंडों और कोयम्बटूर मेट्टपलायम-तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा खंडों को छोड़कर], सं. 68 [सलेम उलनडरपेट खंडों को छोड़कर], सं. 205 [तमिलनाडु/आन्ध्र प्रदेश सीमा-थिरुठानी-चैन्नई खंडों को छोड़कर], सं. 207, सं. 208, सं. 209, सं. 210, सं. 219, सं. 220 और सं. 226 (पेराम्बलबूर-पेराली-कीलापालुन-अरियालुरकुन्नाम-थिरुवायुर-केन्डीयूर-थंजावूर) जो तमिलनाडु राज्य के भीतर स्थित है।	तमिलनाडु राज्य सरकार"
-----	---	-----------------------

[फा. सं. रास-14013/3/2010-पी एंड एम]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्तु संशोधन सं. का.आ. 486(अ) तारीख 26 फरवरी, 2010 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2010

S.O.1520(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to the said notification, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

"22	So much of National Highway No. 4 [excluding from km. 0.0 to km. 107.200 (from Chennai to Ranipet)] and the bypass starting from km. 13.8 of NH-4 and joining at km. 12.6 of NH-5 (Chennai Bypass Phase-II)], No. 45 (Dindigul-Teni Section), No. 45A, No. 45B [excluding-Madurai-Arupukotai-Tuticorin section] No. 47 [(excluding Kerala/Tamil Nadu Border-Kanyakumari Section) and from km. 0.000 to km.182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No. 49, No. 66 [excluding Tamil Nadu/Pondicherry Border-Tindivanam-Thiruvannamalai-Krishnagiri sections], No. 67 [excluding Nagapattinam-Thanjavur-Trichy-Karur-Coimbatore Sections and Coimbatore Mettupalayam-Tamil Nadu/Karnataka Border Sections], No. 68 [excluding Salem-Ulundurpet Sections], No. 205 [excluding Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border-Thiruthani-Chennai Sections], No. 207, No. 208, No. 209, No. 210, No. 219, No. 220 and No. 226 (Perambalur-Perali-Keelapalur-Ariyalur-Kunnam-Thiruvaiyaru-Kandiyur-Thanjavur) as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu"
-----	---	---------------------------------

[F. No. NH-14013/3/2010-P&M]

S.S. GULIA, Dy. Secy.

Foot Note :— The Principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 486(E), dated the 26th February, 2010.